रजिस्ट्रेषन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

# इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –14 ● कानपुर 16 से 31 जुलाई 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

# सुप्रीम कोर्ट के आदेश 22 जनवरी, 2015 के परीक्षण का समय आ ही गया

एक बार फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये 22 जनवरी, 2015 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का गलत ढंग से परिभाषित कर निजी हितों को पूरा करने का कार्य लोगों द्वारा किया जा रहा है जो कि न तो चिकित्सा पद्धति के हित में है और न ही उस व्यक्ति के हित में है जो 22 जनवरी, 2015 के इस आदेश का गलत प्रस्तुतिकरण कर रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी, 2015 को जो आदेश दिया था वह पूर्णतयः स्पष्ट है यह आदेश किसी भी संस्था या संगठन को न तो कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है और न ही कार्य करने की अनुशंसा करता है, आपको एक बार पुनः इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पृष्ठभूमि पर ले जा रहे हैं दिल्ली की एक संस्था द्वारा जुलाई 2012 को एक विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या–19046/2012 इस हेतु योजित की गयी थी कि इसी संस्था द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रदेश में कार्य करने हेतु आदेश पाने के लिये याचिका संख्या 7698/12 लगायी गयी थी इस याचिका की सुनवायी के बाद माननीय विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिनांक 21–02–2012 को पारित आदेश के विरुद्ध स्थग्न आदेश प्रदान किया जाय।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई, 2012 को इस आदेश में स्थग्न आदेश पारित किया और पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये एक और अवसर प्रदान किया।

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवायी के बाद 22 जनवरी, 2015 को इस वाद का निस्तारण यह कहते हुये कर दिया कि अपीलकर्ताओं ने माननीय न्यायालय को बताया कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक नहीं है इस लिये अब हम अपीलकर्ता बिना किसी दबाव के अपने दावे को वापस लेते हैं। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस पर कभी भी कोई रोक नहीं लगायी थी, 1998 से लेकर 2001 तक भारत सरकार के पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी सैकड़ों प्रतिवेदन प्रेषित किये जा चुके थे धरनों प्रदशनों और राजनैतिक दबावों के साथ–साथ 18 नवम्बर, 1998 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में कानून बनाने हेतु पारित ऐतिहासिक आदेश के दबाव में भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की और समिति को निर्देश दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मान्यता के सन्दर्भ में अपनी विशेषज्ञ राय भारत सरकार को प्रस्तुत करे इस विशेषज्ञ समिति ने कई चक्रों की बातचीत व बैठकों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इस रिपोर्ट में दी गयी। संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय ने 25 नवम्बर, 2003 को अन्ततः एक आदेश पारित किया इस आदेश की गलत व्याख्या का परिणाम सारे देश ने भोगा और इसका स्पष्टीकरण 05–05–2010को आया, इस स्पष्टीकरण के आते ही पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथों के मध्य पुनः ऊर्जा का संचार हुआ लेकिन हर कार्य करने के लिये कुछ नियम कानून और दिशानिर्देश होते हैं, भारत सरकार द्वारा 21 जून, 2011 को यह दिशानिर्देश जारी किये गये, हाँ ! इसबार यह दिशा–निर्देश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की पहल व प्रयासों का परिणाम था। इधर उ0प्र0 में एक मुकदमा 820/2002 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उ0प्र0 में 28 जनवरी, 2004 में पारित आदेश "कि सभी चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में और चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली संस्थायें अपने पंजीयन का आवेदन शासन में करेंगी" इस आदेश ने तो पूरे उ0प्र0 की तस्वीर ही बदल कर रख दी एक तरफ 25 नवम्बर, 2003 का दर्द तो दूसरी तरफ शासन में पंजीयन का आदेश, लेकिन यदि काम करना है तो प्रदेश में प्रचलित नियमों और कानूनों का पालन तो करना ही पड़ेगा, अप्रैल 2004 में बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने शासन में पंजीयन हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया शासन द्वारा 30 अप्रैल, 2004 को यह लिखकर सूचित किया कि प्रतिवेदन में पंजीयन व वैधता के तथ्य निहित हैं बोर्ड के लिये रास्ता तो साफ होगया था परन्तु उस समय प्रदेश में संचालित हो रही अन्य संस्थाओं द्वारा उच्च न्यायलय में अनेक मुकदमें दायर किये गये जो सभी के सभी खारिज कर दिये गये थे।

- आदेश को सही परिभाषित करना होगा
- हर जगह आदेश नहीं आयेगा आपके काम
- 04 जनवरी को ढाल न बनायें
- मान्यता तक 04 जनवरी, 2012 रहेगा अपरिवर्तनीय
- 04 जनवरी संजीवनी नहीं – अंतिम है
- ज्यादा बर्बाद न करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी

एक आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आज भी टीस पहुँचाता रहता है जो याचिका संख्य 624/2004 में अपने समय के प्रख्यात न्यायधीश श्री मारकण्डेय काटजू की पीठ द्वारा पारित किया गया था इस आदेश ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा बदलने में कसर नहीं छोड़ी, यह एक रिपोर्टेड केस बन गया और इस रिपोर्टेड केस का प्रयोग आज भी हो जाता है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कुछ पल के लिये सिहरन में डाल देता है, इस केस की भी अपील याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गयी थी यहाँ पर भी वही हश्र हुआ जो होना था और अपील खारिज हो गयी।

इधर उ0प्र0 में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 की गतिविधियां जारी रहीं, 04 जनवरी, 2012 को उ0 प्र0 शासन द्वारा बोर्ड के पक्ष में शासनादेश जारी कर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यहां पर हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि 04 जनवरी, 2012 का आदेश आखिर अंतिम क्यों है ?प्रदेश में कार्य कर रही पश्चिमबंगाल की एक संस्था को 15 दिसम्बर, 2011 को इसी तरह का एक आदेश प्राप्त हुआ था लेकिन उस आदेश में 820/2002 में पारित आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था, इसी तरह नई दिल्ली की एक संस्था जो यू0 पी0 स्टेट में एक ब्रांच भी बताती है अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐन–केन–प्रकारेण 07 नवम्बर, 2013 को एक आदेश प्राप्त किया यह आदेश इन शर्तों के साथ इस संस्था विशेष को तबतक कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है " इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है एवं याची को अपने नाम के सम्मुख "डाक्टर" शब्द लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है का अक्षरशः पालन करना होगा । " इस शासनादेश में भी संस्था द्वारा 820/2002 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, इस संस्था को जो आदेश प्राप्त हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि संस्था इस आदेश का उपभोग तभी तक कर सकती है जबतक माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या–19046/2012 में पारित

शेष पेज 3 पर

## सम्मानित चिकित्सक प्रतिभा और विकसित करें – डा० इदरीसी

आज जो चिकित्सक सम्मानित हुये हैं उनका दायित्व है कि वे अपनी प्रतिभा का और अधिक प्रदर्शन करें जिससे कि समाज के मध्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लोकप्रियता और बढ़ सके चिकित्सकों का यह दायित्व इसलिये भी बढ़ जाता है चूँकि सम्मान पाते ही वे सामान्य चिकित्सक से विशिष्ट की श्रेणी में आ जाते हैं।

अपनी प्रतिभा के बल पर ही इन्होंने वैशिष्ठता प्राप्त की है इसलिये और अधिक ऊर्जा व लगन के साथ कार्य करते हुये विशिष्ट से अतिविशिष्ठ बनने का प्रयास करें यह उदगार भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीटयूट जौनपुर में आयोजित चिकित्सकों का सम्मान समारोह एवं सेमिनार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डा0 एम0 एच0 इदरीसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने व्यक्त किये।

डा0 इदरीसी ने बताया कि प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की स्थिति दिन–प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, कार्य करने का वातावरण बना हुआ है कुछ लोगों द्वारा अभी भी अधिकार पाने की आड़ में कुत्सित प्रयास किये जा रहे हैं ऐसे प्रयासों को सिर्फ कार्य के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है, हर चिकित्सक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हुये कार्य करे और मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन अवश्य करे, इस अवसर पर डा0 इदरीसी ने कार्यक्रम के आयोजक डा0 प्रमोद कुमार मौर्या को बधाई देते हुये कहा कि निसन्देह आपके प्रयास सराहनीय हैं ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अन्य स्थानों पर भी होने चाहिये, हमारे पूर्वांचल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो विकास हुआ है उसके लिये पूर्वांचल के चिकित्सकों को बधाई।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई महासचिव इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम पूर्वांचल के गौरव में चार चाँद लगा रहा है, इस प्रकार के कार्यक्रमों से परस्पर संवाद बढ़ता है जिससे जागरूकता आती है और यही आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये आवश्यक है, सबकुछ पाने के बाद उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाना जागरूकता के अभाव का द्योतक है निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे चिकित्सकों को नई–नई सूचनाओं के साथ–साथ उनकी नैसर्गिक ऊर्जा में भी बढ़ोत्तरी होती है, इसी ऊर्जा का संचय करके हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं विकास का जो रथ आगे बढ़ चुका है उसको विराम मान्यता के द्वार पर ही मिलेगा इसलिये कर्मयोगी की भाँति बिना दिग्भ्रमित हुये स्थिर मन से कार्य करें, पंजीयन के विषय पर कोई भेद पैदा नहीं होगा, यदि वैधानिक ढंग से प्रैक्टिस करनी है तो पंजीयन का आवेदन करना ही पड़ेगा, हम लोग जब विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी से टकरा कर आपको अवसर प्रदान करते हैं तो फिर आपमें घबराहट क्यों ?विशिष्ठ अतिथि अपर मुख्य चिकित्साधिकारी बलिया डा0 डी0 पी0 यादव ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, जनता इसके बारे में बहुत जानती है, डा0 बाजपेई ने इस पैथी के बारे में सबकुछ बता दिया है हमें आपसे बस इतना ही कहना है कि अपनी पैथी में प्रैक्टिस करें तथा इस हेतु सी0 एम0 ओ0 कार्यालय में अपना पंजीयन अवश्य करायें उन्होंने यह भी कहा कि बलिया जनपद में जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं वे अपने पंजीयन के सम्बन्ध में हमसे पूरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी बलिया, डा0 डी0 पी0 यादव ने सम्मानपत्र तथा मुख्य अतिथि डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने स्मृति चिन्ह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक सर्वश्री जीतेन्द्र कुमार मौर्या, एस0 एल0 चौधरी, आर0 एल0 विश्वकर्मा, जिलेदार मौर्या, राजेश कुमार वर्मा, राजमणि यादव, आर0 डी0 यादव, ओम प्रकाश चौहान, आलोक कुमार विश्वकर्मा, दिलीप चन्द श्रीवास्तव, बृजेश कुमार सिंह, विजय शंकर, ओबैद वस्तानवी, लाल बहादुर चौहान, ध्रुव

शेष पेज 3 पर

## पंजीकरण से बचाव नहीं

उत्तर प्रदेश में इलेकट्रो होम्योपैथी में सबसे महत्वपूर्ण विषय चिकित्सकों के पंजीकरण का है और यह विषय अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिये हो गया है क्योंकि प्रदेश में बहुत दिनों से लागू होने के लिये लाम्बित पड़ा क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट 2010 की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन के प्राविधान लागू होने जा रहे हैं, प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में इस आशय का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, विभागीय कार्यवाही भी बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है, जैसे ही प्रारुप तैयार हुआ प्रदेश में यह नियम लागू हो जायेगा।

हम हर उस सरकारी कार्यवाही का सम्मान करते हैं जो सरकार द्वारा निर्णय में लाये जाते हैं चूँकि यह बात एकदम स्पष्ट है कि चिकित्सक को जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना है उसे उस राज्य के प्रचलित कानूनों और नियमों का पालन करना ही होगा तभी चिकित्सक अधिकार पूर्वक विधि सम्मत ढंग से चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है, यह नियम मात्र इलकट्रो होम्योपैथी के लिये नहीं अपितु सभी प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों पर प्रभावी होता है, इसे हम विडम्बना ही कहेंगे कि पता नहीं क्यों हमारा इलेकट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक पंजीयन के नाम से घबड़ाता है अधिकार तो मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की भांति चाहता है लेकिन जब कर्म की बारी आती है तब वह बहुत पिछड़ जाता है, ऐसी स्थिति में यह चिकित्सक किस प्रकार इलेकट्रो होम्योपैथी का भला कर पायेंगे ! गत तीन वर्षों से बोर्ड ऑफ इलेकट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 निरन्तर इलेकट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को पंजीयन के विषय पर जागरुक कर रहा है, चिकित्सकों को जागरुक करने के लिये बोर्ड द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम "चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान" है, इस अभिया22न के माध्यम से बोर्ड सीधे चिकित्सकों से जुड़ रहा है और हर चिकित्सक को यह स्पष्ट निर्देश दिये जा रहे हैं कि अपने अधिकारों को पहचानें और जागरुक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें हर चिकित्सक को यह बताया जा रहा है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये हर चिकित्सक को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन करना है यह कार्य हर चिकित्सक के लिये आवश्यक है क्योंकि जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बिना पंजीयन आवेदन के प्रैक्टिस करना अवैधानिक और अनाधिकारिक है, यह पंजीयन इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि इस पंजीयन का आवेदन इस बात को प्रमाणित करता है कि पंजीयन के लिये आवेदन करने वाला चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये अधिकार प्राप्त है जो चिकित्सक बिना मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में आवेदन किये बिना प्रैक्टिस कर रहे हैं वह लाख पढ़े लिखे हों और अपनी काउन्सिल में विधिवत पंजीकृत भी हों फिर भी झोलाछाप की श्रेणी में आ जाते हैं, इलेकट्रो होम्योपैथी के लिये प्रदेश सरकार द्वारा 04 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर प्रदेश के इलेकट्रो होम्योपैथी के ऐसे चिकित्सक जो बोर्ड ऑफ इलेकट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत हों को चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु शासकीय अधिकार प्रदान कर दिया गया है, इस प्रकार अब प्रदेश में इलेकट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इसलिये इस पद्धति के चिकित्सकों के ऊपर वही नियम प्रभावी हैं जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के लिये, इसलिये जो चिकित्सक पंजीयन से भाग रहे हैं या ऐसा समझ रहे हैं कि वे बिना पंजीयन के ही अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यह उनका बहुत बड़ा भ्रम है, अबतक बचे रहे आगे भी बचे रहेंगे ऐसा सोचना गलत है जब कभी भी स्थानीय स्तर पर जाँचें प्रारम्भ होती हैं तब ऐसे चिकित्सक या तो वे अपनी क्लीनिकें बन्द कर भाग जाते हैं या फिर किसी तिकड़म में जुट जाते हैं दोनों ही दशायें एक चिकित्सक के लिये उचित नहीं है।

मैदान तो वह छोड़ते हैं जिनके पास अधिकार नहीं होते या फिर अधिकारों को प्रयोग में लानें की उनके अन्दर क्षमता नहीं होती है, अब तो धीरे–धीरे स्थितियां बदल रही हैं सबकुछ आपके ही पक्ष में होता जा रहा है इसलिये पलायन नहीं पंजीकरण की बातें करो।

# समस्यायें तो हम स्वयं खड़ी कर रहे हैं

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जब भी कहीं कोई बात चलती है तो समस्याओं की चर्चा अपने आप ही होने लगती है तब यह लगने लगता है कि समस्यायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कर्ताओं– धर्ताओं में ! समस्यायें कहाँ नहीं होती हैं ?तो इसका उत्तर आयेगा जब तक जीवन है और जीवन में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है तो समस्याओं से हमारा सामना तो होता ही रहेगा लेकिन समस्याओं से डर कर हम अपनी दिशा ही बदल दें या लक्ष्य से हट जायें तो यह किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, यदि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्याओं पर गम्भीरता पूवर्क विचार करें तो एक बात तो एकदम स्पष्ट हो ही जाती है कि समस्यायें पद्धति में या पद्धति से नहीं हैं अपितु समस्याओं की जड़ में हमारी अधकचरी सोच है सब कुछ पाने के बाद भी कुछ न पाने जैसा व्यवहार करना ! यह किस बात का प्रदर्शन है ?यह शायद समझ से परे है, पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक ऐसा वर्ग ज़्यादा सक्रिय हो गया है जिसका विश्वास कर्म से ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर लेने में है और अधिकार भी व्यक्तिगत होने की लालसा रखते हैं, यही एकमात्र कारण है जो समय लम्बा खिंचता जा रहा है और समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है कभी–कभी तो ऐसा लगने लगता है कि क्या यह अन्तहीन समस्यायें हैं ?तभी मन कहता है कि ऐसी कोई समस्या अभी तक पैदा नहीं हुयी जिस समस्या का समाधान नहीं हो और समाधान में अस्तु , किन्तु और परन्तु का कोई स्थान होता ही नहीं है देखा जाये तो अब समस्या है ही कहाँ ! जो भी समस्यायें हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वे सारी की सारी हमारे द्वारा ही तो पैदा की गयी हैं, अगर हम मन से स्थिर हो जायें और स्वयं पर विश्वास करने लगें तो शनै–शनै समस्यायें स्वयं ही समाप्त होने लगेंगी, स्वयं द्वारा निर्मित कुछ समस्याओं पर इस लेख के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है अधिकार पूवर्क प्रैक्टिस करने की यह कोई समस्या नहीं है– 21 जून, 2011 का आदेश राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अधिकार देता है, 04 जनवरी 2012, 02 सितम्बर 2013, 14 मार्च 2016 हमें प्रदेश में अधिकार पूवर्क कार्य करने के पूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं, अब जब हम स्वयं ही इन अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहतें हैं तो किसी का क्या दोष ? न्यायालय का आदेश है जिसपर शासन की मुहर भी है कि जो चिकित्सक प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यलय में जाकर अपनी योग्यता, अर्हता एवं पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित अधिकारी को देनी है जिसे आम भाषा में सी0 एम0 ओ0 पंजीयन का नाम दिया गया है से ही हम कतरायेंगे तो समस्यायें तो जन्म लेंगी ही अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि समस्या खुद की पैदा की हुयी है कि नहीं ? अब इसी विषय को लेकर व्यर्थ का विवाद करना कहाँ की नैतिकता है ?

दूसरी सबसे बड़ी समस्या है और यही समस्या सारे समस्याओं की जननी भी है यह समस्या है संस्थाओं के संचालन की, 25 नवम्बर, 2003 का आदेश आने से पहले प्रदेश में लगभग 3 दर्जन शीर्ष संस्थायें और लगभग 350 से ऊपर विद्यालय संचालित हो रहे थे अब अधिकार किसी एक संस्था के पास निहित हैं बाकी अधिकारों के लिये परेशान हैं, यह समस्या भी कोई समस्या नहीं है, भारत में लोकतंत्र है हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है, वर्ष 2004 में न्यायालय का एक आदेश आया कि चिकित्सा प्रमाणपत्र देने वाली सभी संस्थायें अपने पंजीयन का आवेदन शासन में करें अब हर एक संस्था संचालक के पास सुनहरा अवसर था कि शासन में पंजीयन हेतु आवेदन करता और आदेश प्राप्त कर लेता फिर अधिकार पूर्वक कार्य करता ऐसे में समस्या कहाँ थी ? लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया और अपने लिये स्वयं ही समस्यायें पैदा कर लीं।

जो लोग व्यर्थ का प्रलाप करते हैं कि सरकार हमें कोई अवसर नहीं दे रही है ऐसे लोग भोले–भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथों को दिशाभ्रमित कर रहे हैं, सरकार किसी से भेद– भाव नहीं करती है हर एक को कार्य करने का पूर्ण अवसर प्रदान करती है आप ही अवसर लेना न चाहें तो कोई क्या करेगा ? देश और प्रदेश में कार्य करना है तो प्रचलित कानूनों का पालन तो करना ही पड़ेगा।

तीसरी समस्या है स्वयं को स्थापित करने की ! यह भी कोई समस्या की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि स्थापित होने के लिये कार्य करके स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता है यदि हमारा कार्य जनोपयोगी है तो हमारी पूछ स्वयं ही हो जायेगी किसी शायर की यह पंक्तियां कि–

खुद ही को कर बुलन्द इतना कि हर तदबीर से पहले – खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है ?

इसलिये कर्म करो गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है– कर्म करो ! फल की चिन्ता मत करो !! हर मतावलम्बी एक ही बात कहता है कर्म प्रधान विश्वरचि राखा लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथों को कर्म की तुलना में अधिकार की ज़्यादा महत्ता है और इसी सोच ने नई–नई समस्याओं को जन्म दिया है सूचना के अधिकार का इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है जिसके कारण नई–नई बातें जन्म ले रही है।

हमारे पश्चमी उत्तर प्रदेश के कुछ साथियों को सूचना के अधिकार नामक अस्त्र के प्रयोग में महारत हासिल है, ऐसे–ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके उत्तर युद्धिष्ठर के पास भी नहीं होंगे, एक सज्जन ने प्रश्न किया मैटी के अतिरिक्त इस पद्धति के आविष्कार में किस वैज्ञानिक का योगदान है ? इसका उत्तर क्या हो सकता है यह तो प्रश्न पूछने की कल्पना करने वाले पर निर्भर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से काम कर सकते हैं या नहीं भाई मेरे 25 नवम्बर, 2003 काम करने की तो निदेर्शिका है, 05–05–2010 शंकाओं का समाधान है और 21 जून, 2011 भारत सरकार द्वारा जारी अधिकार पत्र है इसके उपरान्त भी कार्य कैसे करें ? यह पूछना समस्याओं को जन्म देने जैसा है। किसी ने होम्योपैथी, सिद्धा और रिगबा जैसी चिकित्सा पद्धतियों के मान्यता के बारे में सरकार से प्रश्न किया कि इन पद्धतियों की मान्यता सरकार ने किन परिस्थितियों में दी है ? सरकार ने दो–टूक जवाब दिया हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसी तरह का एक प्रश्न कि डा0 लिखने का अधिकार किस–किस को है ? जवाब आया 25 नवम्बर, 2003 का अवलोकन करें।

यह सारे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि समस्यायें कहीं नहीं हैं और समस्या अगर कहीं है तो वह हमारे मन में है।

इसलिये मन को स्थिर रखते हुये सिर्फ काम करें और समस्याओं को जन्म न दें।

गत तीन वर्षों से हम लगातार हर चिकित्सक से कहते आ रहे हैं कि प्रत्येक चिकित्सक को विधिसम्मत ढंग से प्रैक्टिस करने के लिये अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन अवश्य करना चाहिये क्योंकि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये यह आवश्यक है कि आप अपनी अर्हता पंजीयन सम्बन्धित सभी जानकारी जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें यह आवश्यक नहीं है कि आपके आवेदनपत्र पर पंजीयन नम्बर सी० एम० ओ० कार्यालय से आपको आवंटित हो केवल आवेदनपत्र प्रेषित करना आवश्यक है और प्राप्ति की रसीद अपने पास रखें हमारे लाख कहने के उपरान्त भी हमारा चिकित्सक पता नहीं किस उधेड़–बुन में रहता है कि उसे पंजीयन सम्बन्धी आवश्यक कार्य के लिये समय ही नहीं मिलता है और जब इसी पंजीयन नहीं कराने के कारण परेशानी में पड़ जाता है तब स्वयं तो परेशान होता ही है और हमें भी अनावश्यक व्यवधान में डाल देता है, पिछले दिनों 29 अप्रैल, 2016 को बुलन्दशहर जनपद के तेलियान घाट, खुर्जा में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक श्री प्रेम चन्द शर्मा की क्लीनिक का मुख्य चिकित्साधिकारी बुलन्दशहर द्वारा एक औचक निरीक्षण में प्रेम चन्द शर्मा द्वारा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराये जा सके जिसके आधार पर वह प्राईवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, यद्यपि श्री शर्मा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के पंजीकृत चिकित्सक हैं और चिकित्सा भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से करते हैं उनकी गलती बस इतनी सी है कि उन्होंने न तो अपने साइन बोर्ड पर

# नवीनता तलाशते लोग

इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लीनिक लिखा था और न ही मौके पर उनके पास अपनी योग्यता से सम्बन्धित कोई प्रपत्र थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन भी नहीं किया था। इससे अधिकारी महोदय रुष्ठ हो गये और उन्होंने तीन दिनों के अन्दर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में योग्यता से सम्बन्धित प्रपत्र (मूल प्रति) एवं पंजीयन पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ऐसा नहीं करने पर श्री शर्मा के विरुद्ध इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15 (2) (3) के अन्तरगत कार्यवाही करने को कहा है। प्रर्थी के अनुसार उसने 18–05–2016 को स्वयं उपस्थित होकर चिकित्सा सम्बन्धित सारे प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कराये थे इसके बावजूद 21–06–2016 को श्री शर्मा के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा दी गयी परिणामोस्वरुप स्थानीय पुलिस 26–06–2016 को उनकी क्लीनिक जा कर चिकित्सा कार्य तत्काल बन्द करने का निर्देश दिया इससे परेशान होकर श्री शर्मा द्वारा 27–06–2016 को एक बार पुनः अपने प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कराये गये लेकिन कार्यलय ने स्पष्ट रुप से पंजीयन के प्रति की मांग की।

मामला जैसे ही बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ० प्र० के संज्ञान में आया बोर्ड ने 02 जुलाई, 2016 को जनपद बुलन्दशहा के मुख्य चिकित्साधिकारी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जिसकी प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर, थानाध्यक्ष खुर्जा एवं पीड़ित श्री प्रेम चन्द शर्मा को प्रेषित कर दी है। यह तो कार्यवाही की बात है बोर्ड श्री शर्मा के लिये उचित प्रयास करेगा लेकिन चिकित्सक का दायित्व क्या है ? इसका उत्तर क्या श्री प्रेम चन्द शर्मा दे पायेंगे ? यह बात हम पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि अधिकार के साथ–साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें जब हम किसी चिकित्सक का पक्ष लेते हैं तो कार्यवाही करने वाला अधिकारी सिर्फ एक बात कहता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ठीक है हमें आपके कार्य करने से कोई परेशानी नहीं है, न ही हम कोई अड़चन डालते हैं लेकिन पंजीयन का आवेदन तो चिकित्सक को करना ही चाहिये ऐसा न करके चिकित्सक न्यायालय की अवमानना करता है और न चाह कर भी कार्यवाही के लिये बाध्य होते हैं।

अस्तु पंजीयन करायें न स्वयं परेशानी में पड़ें और न ही हमें डालें।

## सम्मानित चिकित्सक प्रतिमा ...... प्रथम पेज से आगे

कुमार, अनिल उपाध्याय, राजीव कुमार मौर्या, राजेश कुमार, राजेश कुमार श्रीवास्तव, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, शेष नाथ मिश्रा, अनिरुद्ध प्रसाद वर्मा, मन्जू जायसवाल, नीरज सिंह तथा ए० के० सिंह को देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य डा० प्रमोद कुमार मौर्या एवं स्वागत व अभिनन्दन उप प्राचार्य डा० शमीम अहमद द्वारा किया गया, कार्यक्रम में डा० बृजेश सिंह, डा० आर० डी० यादव डा० ध्रुव राज, डा० एस० एल० चौधरी, डा० आर० एल० विश्वकर्मा, डा० विजय शंकर, डा० उमैद वैशनवी, डा० जिलेदार मौर्या, डा० दिलीप चन्द श्रीवास्तव, डा० लाल बहादुर चौहान, डा० राज मणि यादव, डा० महबूब अली, डा० सैयद नदीम हुसैन, डा० अकरम, डा० जटा शंकर शुक्ला, डा० सुनील कुमार आदि का विशेष योगदान रहा।

मंच पर बायें से दायें डा० हर्ष मौर्या–अहमदाबाद, डा० प्रमोद शंकर बाजपेई महासचिव–इहमाई, डा० डी० पी० यादव–अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डा० एम० एच० इदरीसी चेयरमैन–बी० ई० एच० एम० यू० पी०, डा० एस० एन० राय–शाहगंज, डा० जुगल किशोर चौरसिया–संरक्षक भगवान महावीर ई० हो० इन्स्टीयूट जौनपुर

# सुप्रीम कोर्ट के आदेष .... प्रथम पेज से आगे

अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी, 2015 को अंतिम आदेश पारित कर चुका है अब हर जानकार को निर्णय लेना चाहिये कि उ०प्र० सरकार द्वारा प्राप्त किये गये इस आदेश का वर्तमान में क्या स्तर है ?यह तो तभी तय होगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण होगा, अपने–अपने ढंग से आदेश को प्रस्तुत करना अब बन्द हो जाना चाहिये अन्यथः चिकित्सा पद्धति के लिये यह कार्यक्रम मंहगा पड़ सकता है उदाहरण के तौर पर थोड़ी अपनी यादाश्त (स्मरण शक्ति) को तेज़ कीजये मस्तिष्क में याचिका संख्या 7698/12 में पारित आदेश का एक अंश आपके पठन हेतु प्रस्तुत है:–

**This Court has repeatedly held that Electrohomoeopathy is not a recognised system of medicine and cannot be practiced for curing the diseases or for any purpose. It is also well known principle of law of Human Rights that the medical research cannot be permitted on human, unless it is done under strict supervision of the experts and with permission by Indian Council of Medical Research. There is not such permission given to Electro homoeopathy. On the contrary the representative of ICMR present in the committee constituted by the Central Government, had not होगा accepted as system of medicine**

**We strongly deprecate the efforts by the Electrohomoeopaths, who have been warned time and again not to approach this Court for continuing with the practice of unrecognised system of medicine, which is nothing but quackery.**

**We once again remind all the respondent authorities tahat the right to health recognised by Art.21 enjoins the State to protect the general public from the practitioners of the unrecognised system of medicine, which have no known methods of medical practice nor their system have been recognised by the Ministry of Health, Government of India, or are regulatedby any legislation.**

इस तरह से न्यायालयों की यह टिप्पणियां लगातार नई व्यवस्था निर्मित करती जा रही हैं एक तरफ हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मजबूती की एक ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं दूसरी ओर ऐसे कार्यक्रम नित्य नई स्थिति तैयार करते रहते हैं। कार्य तो सभी को करना हैं और कार्य करना भी चाहिये परन्तु कार्य करने के लिये कभी भी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में न हो। पूरे देश में लोग हाई कोर्ट के मुकदमों में अनुतोष (Relief) पाने के लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिना सोचे–समझे प्रयोग किया करते हैं और परिणाम भी सही नहीं ला पाते हैं इसलिये अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का परीक्षण हो ही जाये जिससे कि अंधाधुन्ध प्रयोग बन्द हो जाये। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने जो पत्र दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार को लिखा है उसकी प्रति सूचनार्थ दिल्ली के उप राज्यपाल और दिल्ली राज्य के स्वास्थ्य सचिव को इस आशय के साथ भेज दी गयी है कि आपके अधिकारी किस तरह की उलूल जलूल नोटिसे जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के मनोबल को गिराने का कुत्सित प्रयास कर रही है जो उनका मूल काम है उससे भटक कर वह कार्य कर रहे है जो किसी भी तरह से न्याय की परिधि में नहीं आता है आज पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में 21 जून 2011 को एक आदेश जारी कर दिया था इस आदेश का क्रियान्वयन दिल्ली राज्य सरकार को भी करना है दिल्ली राज्य सरकार को चाहिये कि वह अविलम्ब दिल्ली राज्य में भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा जारी 21 जून 2011 के आदेश का शीघ्रता शीघ्र क्रियान्वयन करे ताकि किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा इस तरह की कार्यवाही करने का साहस न हो सके। कानून और नियमन होने के साथ ही हर तरह की समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है इसलिए बार बार समस्यायें न खड़ी हो इसलिए दिल्ली राज्य सरकार को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई स्थायी सकारात्मक निर्णल लेना होगा ।दिल्ली राज्य सरकार को यह जान लेना चाहिये कि दिल्ली राज्य में लगभग 10 हजार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा व्यवसाय करते हुए दिल्ली राज्य की जनता को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहे है दिल्ली के ऐसे क्षेत्र जो चिकित्सकों की सेवाओं से वंचित है वहां इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अपनी सेवायें प्रदान कर रहे है अभी दिसम्बर,जनवरी एव फरवरी के महीनों में जब पूरा दिल्ली राज्य डेंगू से कराह रहा था तब हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक पूरे मनोयोग से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे थे और सेवा के साथ साथ हर वह सम्भव प्रयास कर रहे थे जिससे कि रोगी रोगमुक्त होकर अपने घर को वापस जाये ऐसे इलेक्ट्रो होम्योपैथों की सेवाओं को बहुत दिनों तक दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता अब समय आ चुका है कि दिल्ली राज्य सरकार अविलम्ब 21 जून, 2011 के आदेश का क्रियान्वयन करे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई ऐसी नीति बनावे जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का दूरगामी हित हो और चिकित्सकों के सामने जो कभी कभी आघाती समस्यायें आ जाती है उसका स्थायी समाधान हो सके इस सम्बन्ध में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया ने प्रदेश सरकार को प्रतिवेदन दे रखा है और निवदेन किया है कि जनहित में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए भारत सरकार ने 21 जून 2011 को जो आदेश जारी किया है उसका क्रियान्वयन हो सके।

क्या आप चिकित्सक बनना चाहते हैं ?
प्रतिस्पर्धा की होड़ से बचें !
मँहगी डोनेशनयुक्त
मेडिकल शिक्षा लेने में असमर्थ हैं !
तो
इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकल्प है
भारत सरकार के आदेश संख्या
**C.30011/22/2010-HR**
व
उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश
संख्या 2914/पांच–6–10–23रिट/11
एवं
2 सितम्बर 2013 को क्रियान्वित आदेश
के अनुसार
प्रदेश में विधि सम्मत ढंग से स्थापित
बोर्ड ऑफ् इलेक्ट्रो होम्योपैथिक
मेडिसिन, उ0प्र0
द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों
क्रमशः

**M.B.E.H.** अवधि 3 वर्ष
अर्हता 10 + 2 P.C.B.
**F.M.E.H.** अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)
अर्हता 10 + 2 उत्तीर्ण
**A.C.E.H.** अवधि 1 सेमेस्टर
अर्हता किसी भी राज्य परिषद द्वारा
पंजीकृत चिकित्सक/2 वर्षीय मेडिकल
अथवा पैरा मेडिकल पाठयक्रम
उत्तीर्ण चिकित्सक
में प्रवेश लेकर
अधिकारिक चिकत्सक बनकर
देश व समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में
अपना योगदान दें।

विस्तृत जानकारी हेतु कृपया www.behm.org.in पर log in करें।